न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 68/09 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. नारायण पुत्र सगरिया जाति माली निवासी झंझारपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

:– अपीलांट

बनाम

1. कैलाश पुत्र संगरिया जाति माली निवासी झझारपुर तहसील बानसूर जिला अलवर ।
2. भगवाना पुत्र सगरिया जाति माली
3. रामलाल पुत्र सगरिया जाति माली
4. मु0 केशरी बेवा गोदा जाति माली
5. लीला पुत्र सगरिया जाति माली
6. ख्याली पुत्र गोदा पौत्र सगरिया
7. दुर्गा पुत्र गोदा पौत्र सगरिया
8. रामचन्द्र पुत्र गोदा पौत्र सगरिया
9. दाताराम पुत्र गोदा पौत्र सगरिया
10. सुभाष पुत्र गोदा पौत्र सगरिया निवासी ग्राम झंझारपुर तहसील बानसूर जिला अलवर

:—— असल रेस्पो0

10. तहसीलदार, बानसूर बहैसियत भू धारक राजस्थान सरकार

:– तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक जिलाधीश, बानसूर दिनांक 22.4.2009

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अनिलकुमार गुप्ता
2. वकील रेस्पो0 :– श्री अशोककुमार मुदगल

निर्णय दिनांक 17.8.2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक जिलाधीश, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 53/08 उनवान कैलाश बनाम भगवाना वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 22.4.2009 के विरूद्ध है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट प्रारम्भिक तौर पर डिकी किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये गये हैं ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1929 व 1951 वाके ग्राम झझारपुर तहसील बानसूर में स्थित है । जिस पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज है । शामलात में काश्त करना मुश्किल हो रहा है, अतः तकासमा की डिकी पारित की जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा यह वाद पत्र प्रारम्भिक तौर पर डिकी किया है,जिसकी यह अपील है ।

2. बहस में विद्वान वकील वादी अपीलांट का कथन है कि तहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । प्रतिवादी संख्या 1 ला0 3 एवं 5 ला0 10 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया था । मुझ प्रतिवादी नम्बर 04 की तामील हेतु पत्रावली नियत थी । मुझे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया । अपीलांट व कैलाश, भगवाना, रामलाल, लीला, गोदा कुल 6 भाई हैं, जिनमें अर्सा करीब 40 साल पूर्व उपरोक्त आराजी का आपस में पारिवारिक राजीनामा किया गया था, जिसके अनुसार आराजी हाल खसरा नम्बर 2321 व 2322 का 1/2 हिस्सा, जो कि अपीलांट व रेस्पो0 का था, वह पूरी आराजी भगवाना के हिस्से में आई और आराजी खसरा नम्बर 2574, 2575, 2576 भगवाना को छोडकर शेष 5 भाईयों के हिस्से आई । इस तथ्य की ओर तहत न्यायालय ने कतई गौर नहीं किया । शामलात में खेती करने में किसी प्रकार की कोई मजाहमत नहीं हो रही है । इकबाल दावा जो पेश किया गया था, वह मेरी ओर से पेश नहीं किया गया है और मुझे सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है । अतः निवेदन है कि सुनवाई हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे ।

3. बहस के दौरान विद्वान वकील रेस्पो0 का कहना है कि तहत न्यायालय का निणयि विधिसम्मत है । अगर फिर भी अपीलांट प्रकरण को पुनः निर्णय पारित कराने हेतु रिमांड कराना चाहता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है ।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहत पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि जो इकबाल दावा पेश किया गया है, वह प्रतिवादी नम्बर 4 / अपीलांट द्वारा पेश नहीं किया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । विद्वान तहत न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह प्रतिवादी नम्बर 1 ला0 3 तथा 5 ला0 10 के इकबाल दावा के आधार पर पेश किया है । जबकि प्रतिवादी नम्बर 04 / अपीलांट की ओर से कोई इकबाल दावा पेश नहीं किया गया है । इसका तात्पर्य यही है कि अपीलांट अपना ऑब्जेक्शन पेश करना चाहता था, परन्तु उसे अवसर नहीं दिया गया । इसीलिये अपीलांट अपने ऑब्जेक्शन अर्थात जवाब दावा पेश करने एवं अपनी सुनवाई करने हेतु प्रकरण को रिमांड कराना चाहता है । स्वयं रेस्पो0 ने भी प्रकरण को रिमांड किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अलवर

Scanned by CamScanner

की है । लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में न्यायहित में हम प्रकरण को रिमांड किया जाना उचित समझते हैं ।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 22.4.09 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के जो भी objections हैं, उन्हें प्राप्त करें । तत्पश्चात उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 19.9.2016 को उपस्थित हों ।

6. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner